न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :204 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 294)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. करतार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसवीर सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. मनदीप सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. दिलजोत सिंह पुत्र दविंद्र सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 03.07.2025

उपस्थितः स्वंय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– **दिनांक : 10.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 16, 17, 23/6, 23/8 की कुल 11.258 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। इन्तकाल संख्या 261 न्यायालय आदेश दिनांक 23.09.2024 के बाद उक्त खाता में भूमि 9.677 हैक्टेयर भूमि ही रह गई है। न्यायालय आदेश इन्तकाल संख्या 261 द्वारा जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह, दिलजोत सिंह पुत्र दविंन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह के नाम अन्य खाता संख्या 34 में 1.581 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन किया गया। परन्तु अन्य खाते में नाम दर्ज होने के उपरांत उक्त तीनों काश्तकारो के नाम सहवन से खाता संख्या 11 में से हटने से रह गये। जिस कारण प्रार्थीगण की भूमि का खाता संख्या 11 में गलत रकबा दर्ज हो गया। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 16, 17, 23/6, 23/8 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह, दिलजोत सिंह पुत्र दविंन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह के नाम हटाए जाकर पूर्व जमाबन्दी अनुसार रकबा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 470 दिनांक 06.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 व भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पूर्व जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 261 से पूर्व प्रार्थीगण का हिस्सा सही था, वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 11 में से जंगीर सिंह, दिलजोत सिंह, तथा भूपेन्द्र सिंह का नाम हटाकर प्रार्थीगण का हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से सहमति का शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है, तो हमें कोई एतराज नहीं है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

यथा राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 की प्रति, राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/11 की प्रति, नामान्तरण संख्या 261 दिनांक 11.09.2024 की प्रति, प्रकरण संख्या 20/2024 की डिक्री दिनांक 11.07.2024 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 17, 23/3, 23/8 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह, दिलजोत सिंह पुत्र दविन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह का नाम हटवाया जाकर न्यायालय आदेश इन्तकाल संख्या 261 दिनांक 11.09.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पूर्व जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 261 से पूर्व प्रार्थीगण का हिस्सा सही था, वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 11 में से जंगीर सिंह, दिलजोत सिंह, तथा भूपेन्द्र सिंह का नाम हटाकर प्रार्थीगण का हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत सहमति दी है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 17, 23/3, 23/8 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह, दिलजोत सिंह पुत्र दविन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह का नाम हटाया जाकर, शेष खातेदारान के रकबा की स्थिति न्यायालय आदेश इन्तकाल संख्या 261 दिनांक 11.09.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

करतार सिंह आदि बनाम जंगीर सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 204/2025
निर्णय दिनांक :- 10.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 17, 23/3, 23/8 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह, दिलजोत सिंह पुत्र दविंन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह का नाम हटाया जाकर, शेष खातेदारान के रकबा की स्थिति न्यायालय आदेश इन्तकाल संख्या 261 दिनांक 11.09.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(श्योराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

(श्योराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/686 दिनांकः 10.09.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

(श्योराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर